न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण

1 गायत्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी परमाल सिंह मीना
निवासी ग्राम नलखेडा तहसील चाचौडा जिला गुना
2 गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हरस्वरूप मीना
निवासी ग्राम उगोविन्दपुरा तहसील राघौगढ जिला–गुना
3 ओमवतीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी ओमप्रकाश मीना
निवासी ग्राम–महेशपुरा तहसील–चाचौंडा जिला–गुना

विरूद्व

1 मनजीत पुत्र नारायण सिंह जाति मीना
निवासी ग्राम डोंगर
2. सचिन पुत्र मोहन सिंह जाति मीना अल्पवयस्क
3. अभिनन्दन पुत्र मोहन सिंह अवयस्क द्वारा संरक्षक
श्रीमती विनिताबाई पत्नी मोहन सिंह मीना निवासीग्राम
डोंगर तहसील–राघौगढ जिला गुना (म.प्र.)
4 पटवारी हल्का न.26 ग्राम हुसैनपुर तहसील राघौगढ
जिला–गुना (म.प्र.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 509--दो/14 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.6.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अपील/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10-2--14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रस्तुत अपील को पंजीबद्ध किया जाकर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन तथा भूमि के विक्रय एवं बैंक में बंधक किए जाने की कार्यवाही को आगामी दिनांक 10--3--14 तक स्थगित किया गया है ।	
	2-- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता का यह कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अधिकारिता रहित है । विचारण न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी के प्राकृतिक उत्तराधिकारियो का नामांतरण किया गया है । अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ के समक्ष अपील की अनुमति हेतु कोई आवेदन नहीं किया था जब आवेदको ने इस संबंध में आपत्ति कि तब आवेदन दिया गया है इसलिए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अपील दिनांक 13--1--14 को पेश की गई तथा अनुमति हेतु आवेदन 10--2--13 को दिया गया है अतः अपील 10.2.13 को पेश की होना माना जायेगा । यह भी कहा गया कि अपील समयबाधित है जिसमें उक्त आपत्तियो का निराकरण के पूर्व स्थगन नही दिया जा सकता ।	
	3- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों का खंडन करने हेतु कहा गया कि अनावेदक के पक्ष मे मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयत की गई है । विचारण न्यायालय द्वारा बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया है जबकि वे हितधारी एव आवश्यक पक्षकार है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयसीमा मे है । अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आदेश उभयपक्ष को सुनने के उपरांत	

पारित किया है । प्रकरण का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । आवेदकगण जान बूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाह रहे हैं । यह भी कहा गया कि वे हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है फिर भी उनके द्वारा अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण मे यह स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष मे मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयत की गई है. इस कारण वह आवश्यक एव हितबद्ध पक्षकार है । तहसीलदार द्वारा उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति मे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरात अपील को ग्राहय कर एवं स्थगन आदेश जारी कर कोई विधिक त्रुटि नही की है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना है. जहा आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । माननीय उच्च न्यायालय एव माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह व्यवस्था दी है कि पक्षकारों को गुणदोष पर न्याय दिया जाना चाहिए तकनीकि आधार पर उन्हें न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिए. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण गुणदोष पर 3 माह में करें ।

(एम के सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर